कायालय–प्रमुख वन सरक्षक एव नोडल आधेकारी, वन
संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 893 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 28 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

सचिव वन,
उत्तराखण्ड शासन

विषयः– **जनपद बागेश्वर में जखेड़ा से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.152 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।** (Online Proposal No.-FP/UK/ROAD/15304/2015)

सन्दर्भः– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा का पत्रांक 640/12–1(2), प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग का पत्रांक 692/12–1(2) दिनांक 13–08–2024 एवं पत्रांक 1723/12–1–2 दिनांक 27–10–2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 08–04–2016 से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई जिसकी अनुपालन ऑख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1782/FP/UK/ROAD/15304/2015 दिनांक 28–01–2023 के द्वारा शासन को प्रेषित की गई थी। प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी निदेंशों के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात् 5 वर्ष से अधिक समय तक अनुपालन ऑख्या प्रेषित न करने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करवाते हुए सूचना प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित की गई थी।

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि जमा करवाये जाने की सूचना वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गई थी, किन्तु तकनीकी त्रुटि के कारण प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से प्रकरण इस कार्यालय को आनलाईन प्रेषित नहीं किया जा सका। वर्तमान में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 1723/12–1(2) दिनांक 27–10–2025 से अवगत कराया गया है कि NIC भारत सरकार के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर कार्यवाही न होने की स्थिति में नोडल स्तर पर कार्यवाही किये जाने का विकल्प उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि कार्यदायी संस्था द्वारा चालान सं0 SBIN423270690513 दिनांक 27–09–2023 से अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 1,84,562.00 (एक लाख चौरासी हजार पांच सौ बासठ) मात्र कैम्पा मद में जमा करवा दिया गया है (सूचना संलग्न)। अतः विषयक प्रकरण को इस आशय से संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया प्रकरण को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के प्रवधानों के अनुसार विधिवत् स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 893 /12—1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

2— अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

716

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ *(05962) 231099 Fax : 230397*

पत्रांक – 640 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 4/09/2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– बागेश्वर में जखेड़ा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.152 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 15304 / 2015।

संदर्भ :– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 692 / 12–1 (2) दिनांक 13.08.2024।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर ने अवगत कराया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की बढ़ोत्तरी धनराशि चालान सं0 SBIN423270690513 दिनांक 27.09.2023 द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसकी चालान की प्रति संलग्न कर आपको सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि।

944
12-1
16-9-24

भवदीय

(डॉ0 तेजस्विनी अरविन्द पाटिल)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

प्रभारी बागेश्वर
आ० का० करे,

9-9-24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0 05963-220249 वन मित्र काल सेंटर– 9208008000

पत्रांक 1723 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 27/10/2025

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय – 1. जनपद बागेश्वर में जौलकाण्डे–शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/15461/2015)
2. जनपद बागेश्वर में जखेड़ा से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.152 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/15304/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव का उत्तरालेख इस कार्यालय के पत्रांक 5128/12–1–2 दिनांक 23.06.2023 तथा 692/12--1–2 दिनांक 13.08.2024 को पूर्व मे प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न) वर्तमान में ऑनलाईन इस कार्यालय में अंकित हो रहा है, जिसके सम्बन्ध में एन0आई0सी0 दिल्ली में सम्पर्क किया गया उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव में आपके स्तर से कार्यवाही की जानी है।

अतः प्रकरण में अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा कीजिएगा।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d BGR .docx"

Samsung Galaxy M06 5G

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर
Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 692 / 121-2 बागेश्वर दिनांक : 13 / 08 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/15304/2015)**

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं0 55 / x-4-16/1(11)/2016 दिनांक 08.अप्रैल.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.152 है0 वन भूमि** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0 3321 / 12–1 दिनांक 29.06.2017 द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गयी थी। **(छायाप्रति संलग्न)**– 1

सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3 / 2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

भारत सराकर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावक विभाग द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि UTR No.SBIN423270690513 Dtd 27.09.2023 से जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न)–2

अतः प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचना चार प्रतियों में संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नः– चार प्रतियो।

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक / दिनांकित ।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Nodal adikari

सामान्य
02/8/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2077 / 25ई.व.भू. दिनांक 31 / 07 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.152 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 4423 / 12–1–2 बागेश्वर दिनांक 03.05.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके कार्यालय पत्र सं0 3321 / 12–1 दिनांक 13.07.2017 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। पॉच वर्ष से अधिक समय से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि रू0 01,84,562.00 की मॉग की गई थी, जिसे (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No-SBIN423270690513 dtd 27.09.2023 द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की देय धनराशि जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

भवदीय,
31/07/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्राप्ति संख्या 538
दिनांक 02/8/2024
शाखा
पत्रावली 12-1-2
आवश्यक कार्यवाही करें।
व0 प्रशा0 अधि0 प्र0 व0 अ0

संलग्न-1

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– /FP/UK/ROAD/15304/2015 देहरादूनः दिनांकः 24 जनवरी 2023

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :– जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.152 है0 वन भूमि का ग़ैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 55/X-4-16/1(11)/2015 दिनांक 08–04–2016

महोदय,

शासन के उपर्युक्त विशयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2815/12–1–2 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.304 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.304 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 5,30,615.00 RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR52017020400026634 दिनांक 04–02–2017 से जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.304 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी, जनपद–बागेश्वर के आदेश संख्या–170/ छब्बीस–वन/ 2016–17 दिनांक 17–04–2017 के द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। संदर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 5,21,528.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार भुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 9,73,440.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में यदि सक्षम स्तर से एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–3)

1-1193

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक / 12-1 बागेश्वर दिनांक : 29/6/ /2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैण्ड़ से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग निमाण हेतु 1.152 है0 वन भूमि गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड़ शासन का पत्रांक सं0 55/X-4-16/1(11)/2016 दिनांक 08.04.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित की गयी है जो 3 प्रति में अग्रिम कार्यावाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न– आख्या 3 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक 3321 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर को उनके पत्रांक 1030/2ई0व0भू0 दि0 11.05.2017 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्यां को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

Nodal adikari

1411)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 1030 / 2ई0व0श्रु   दिनांक 11 / 5 / 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.152 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 55 / X–4–16 / 1(11) / 2016 दिनांक 08.04.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

पत्रॉक 1030 / 2ई0व0श्रु तद्दिनांक

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी देहरादून को सन्दर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी बागेश्वर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

(1-VIII)

जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.152 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्रॉक 55/x-4-16/1(II)/2016 दिनांक 08.04.2016 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या।

अनुपालन आख्या

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तो बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है।

1– शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.304 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 530615.00 मात्र (रू0 पाच लाख तीस हजार छः सौ पन्द्रह मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं0 SBINR52017020400026634 दिनांक 04.02.2017 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 2.304 है0 ग्राम बदियाकोट का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 170/छब्बीस–वन/2016–17दिनांक 17.04.2017 द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक– 167/ र0का0/व0भू0ह0/2016–17 दिनांक 21.04.2017 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)

2– शर्त सं0 2 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रख–रखाव हेतु रू0 521528.00(रू0 पॉच लाख इक्कीस हजार पॉच सौ अठाईस मात्र) का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।

3– शर्त सं0 3 के अनुपालन में रू0 973440.00 (रू0 नौ लाख तिहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) एन0पी0वी0 की धनराशि भुगतान UTR नं0 SBINR52017020400026654 दिनांक 04.02.2017 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।

4– शर्त सं0 4 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं सभी दूसरी निधियॉ RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कर दी गयी है। बैंक से प्राप्त यू0टी0आर0 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

5– शर्त सं0 5 के अनुपालन में सक्षम अधिकारी स्तर से एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होने पर बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धित वचतबद्व पहले की प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। प्रमाण पत्र पुनः सलग्न है।

6– शर्त सं0 6 के अनुपालन में भू–वैज्ञानिक के सुझाव की सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

7– शर्त सं0 7 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रपत्र 30 से 30–3 दिनांक 04.09.2015 को हुई जिला स्तरीय बैठक के कार्यवाही जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र (कुल) पहले ही प्रस्ताव में संलग्न किये गये है। जिनका कृपया अवलोकन करने का कष्ट करे।

संलग्न–
(1) जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 17.04.2017 प्रमाणित पत्र की प्रति।
(2) तहसीलदार कपकोट के पत्र दिनांक 21.04.2017 खतोनी की प्रति सहित।
(3) RTGS/NEFT फार्म की प्रति।
(4) शासनादेश की प्रति संलग्न है।
(5) दो प्रमाण पत्र।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

14(V)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 30-08-2016

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	ROAD, 53042015475
Location:	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	2367335/-

Amount in Words : Twenty-Three Lakh Sixty-Seven Thousand Three Hundred and Thirty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD153042015475
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jeevita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m:
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

@ No Chg ... As per Govt. O...

J.N. Ofc

4-2-20.17

SBINR52017020400026654

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

1747

आदेश

उप जिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 06 अप्रैल, 2017 के आधार पर जनपद बागेश्वर में जखेडा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.152 है0 के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगनी अवनत भूमि 2.304 है0 जो ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 8272 रकवा 1.750 है0, 8288 रकवा 0.485 है0, 8303 रकवा 0.060 है0, 8304 रकवा 0.013 है0 मध्ये रकवा 0.009है0, कुल खेत 04 कुल रकवा 2.304 है0 जो श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(II)/ 2012–18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 55/X–4–16/ 1(11) 2016 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 में दी गयी शर्तो के अधीन उक्त वर्णित 2.304 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सामान्य
18 APR 2017

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर

संख्या – 170 / छब्बीस वन /2016–17 दिनांक 17 / 4 / 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित –

1–प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग ,बागेश्वर।

2–अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर।

3–उपजिलाधिकारी,कपकोट।

4–तहसीलदार,कपकोट को इस आषय के साथ प्रेशित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रांक संख्या 4022
लाट संख्या 121
दिनांक 18-04-17

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/15304/2015** योजना **जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.152 है0** वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम बदियाकोट में **2.304 है0** सिविल भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक संख्या 170/छब्बीस – वन /2016–17 दिनांक 17.04.2017 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वाामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि श्रेणी 9 (खाते से बाहर की भूमि) (un measured Land) के अन्तर्गत 9(3)ख(2) के रूप में दर्ज हैं। जो कि अधिसूचना संख्याः 869–एफ/638 दिनांक 17.10.1893 के तहत संरक्षित वन घोषित है। (अधिसूचना संलग्न)

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
पत्रांक 640 /12-1(2) **दिनांक** 04/09/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी बागेश्वर।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare/other.JEO .docx"

REVENUE (FORESTS) DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

The 17th October 1893

No. 638.44- $\frac{869\ F}{}$ In exercise of the powers conferred on him by section 28 of the Indian Forest Act, VII of 1878, the Hon'ble the Lieutenant Governor of the North-Western Provinces and Chief Commissioner of Oudh is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the above mentioned Act, VII of 1878, applicable to the following forest lands waste lands which are not included in reserved forests:-

(1) The forest lands and waste lands of the Garhwal District which do not form part of the measured areas assigned to villages.

(2) The forest lands and waste lands of the Almora district, which do not form part of the measured areas of villages, and are not included in the demarcated protected forests known as-

Declared to be 'protected' by Notification No. 177 dated 26th February 1879 as revised by Notification No. 99, dated 31st January 1883	M-chor Bhatronj Siuni Siun Belekh Kathalekh Gania deoli Karchuli Chilianao. Chaubattia. Padholi Dwarson. Siahi Devi Airadeo

(3) The forest lands and waste lands of the Naini Tal subdivision of the Naini Tal district which do not form part of the measured areas of villages, and are not included in the demarcated protected forest known as-

Declared to be 'protected' by Notification No. 149, dated 21st February 1879 as revised by Notification No. $\frac{133F}{539-13}$ dated 21 March 1887.	China Budlakote Naldua Bhowali Jakh. Laria Kanta Kuria

....

TRUE COPY

(signature)

(G. S. S. KHATI)
Asstt. to Addl. Chief Conservator of Forests,
(Management),
U.P., Nainital.
dt. 12-4-1983

संलग्न-2

(5)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963--220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 4423 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 03/5 /2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
बागेश्वर।

विषय – **जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.152 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5--3 / 2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों मे एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 08.04.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	1.152 है0	5	0.2	1005210.00	11,58,002.00	09,73,440.00	01,84,562.00
	कुल योग					11,58,002.00	09,73,440.00	01,84,562.00

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

पंजी. नं. 25-9-05
डायरी नं. 1179
दिनांक 12-5-23

11.5.23

P.C. Attached

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

2411

उत्तराखण्ड शासन
फोन / फैक्स नं0–05963–220006

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर।

PWD Uttarakhand
E-mail id- pdpwdbgr@gmail.in

पत्रांक 3836 / कैश

दिनांक 27/09/2023

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 666 / 2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में जखेड़ा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक मोटर मार्ग का निर्माण (2.50 किमी0) हेतु अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा करने हेतु कोषागार बागेश्वर से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैकर्स चैक सं0– 639462 दिनांक 18.09.2023 ₹ 184562.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0– 150896115304126 IFSC Code- UBIN0996335 मे NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :– बैकर्स चैक सं0–639462 दिनांक 18.09.2023 ₹ 184562.00 मात्र मूल में।

26/09/23

(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

SBIN42327069051

पत्रांक :– / कैश, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता प्रभारी, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेष्वर।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

Q-158
a voucher
LBGU

भारतीय स्टेट बैंक, बागेश्वर शाखा-(01693)
PF ID: 1002482
Posted By 27 SEP 2023 Chked. By
Name: MANISHA TIWARI
Signature.............

P.C. Amsked

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

9/o Jakhani Band to Junior High School · M/R 2411/

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115304126
MoEF/SG File No.	1(11)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	184562/-

Amount in Words :One Lakh Eighty-Four Thousand Five Hundred and Sixty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896115304126 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115304126
MoEF/SG File No.	1(11)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	184562/-

Amount in Words :One Lakh Eighty-Four Thousand Five Hundred and Sixty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896115304126 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank**

SBIN 423276690573
Dt 27-9-2023

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

P.C. Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर